

29.11.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तगण उपस्थित आए। निर्णय सुनाया गया। आदेश हुआ कि:-

आदेश

अपीलार्थिनी की प्रकीर्ण दीवानी अपील निरस्त की जाती है। उप जिला मजिस्ट्रेट/विहित प्राधिकारी पोखरी, चमोली द्वारा वाद संख्या-14/2020, राज्य बनाम श्रीमती रजनी देवी, अन्तर्गत धरा 4/5, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 25.07.2022 एवं प्रपत्र "ख" दिनांकित 26.07.2022 की पुष्टि की जाती है।

इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

अपील की पत्रावली वाद कार्यवाही उपरांत अभिलेखागार संचित की जाए।

(धर्म सिंह)
जिला न्यायाधीश,
चमोली।